

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारो ॥
सोमवार, 12 दिसम्बर, 1994 / 21 अग्रहायण, 1916 ॥ शक ॥

संख्या. 139

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 6.12.1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1994 को प्राप्त हुआ था :-

" मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि श्री शोएब इकबाल, विधायक, दिल्ली के उनके अन्य समर्थकों सहित आज दिनांक 6.12.1994 को अपराह्न 1.05 बजे संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 6.12.1994 को अपराह्न 1.30 बजे थाना संसद मार्ग नई दिल्ली से रिहा किया गया था ।"

पी. ए. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, December 12, 1994/Agrahayana 21, 1916 (Saka)

No.139

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 6.12.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 9th December, 1994 :-

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, M.L.A., Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 1.05 P.M. today i.e. 6.12.1994.

He was released at 1.30 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 6.12.1994."

P.N. GUPTA
SECRETARY